10039
28/11/16

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा का पत्रांक–652(B) / स्था0, दिनांक 02.06.2005
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–7122, दिनांक 02.11.2007 एवं पत्रांक–772, दिनांक 11.02.2008
3. उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–575 (B) / स्था0, दिनांक 10.09.2016

श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–789 / 03, गृह जिला–मुजफ्फरपुर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुवाँ, सम्प्रति– पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध आयुक्त का कार्यालय, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक–652(B) / स्था0, दिनांक 02.06.2005 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं–

आरोप सं0–1– विभागीय अधिसूचना सं0–7469, दिनांक 20.02.2002 द्वारा आपका स्थानांतरण मधुपुर प्रखण्ड, देवघर से मनातु प्रखण्ड, पलामू किया गया था। आपने मधुपुर प्रखण्ड का प्रभार सौंपने के बाद मनातु प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण नहीं किया तथा बिना सूचना के अनधिकृत रूप से गायब रहें। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8277, दिनांक 08.11.2003 के आलोक में पत्रांक–3903 / गो0, दिनांक 23.11.2003 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके आलोक में आपके पत्र सं0–65 (A), दिनांक 27.11.2003 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि मधुपुर का प्रभार आपने दिनांक 24.12.2002 को सौंपा। तत्पश्चात आपके माताजी की हालत चिंताजनक हो जाने के कारण अधिसूचित पद मनातु प्रखण्ड में योगदान नहीं दे सके। यह कथन संदेहास्पद प्रतीत होता है। आपने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र एवं पिछड़ा क्षेत्र में योगदान करने से बचने के लिए मनातु में योगदान नहीं दिया परन्तु जैसे ही ग्रामीण विकास विभाग की एक अन्य अधिसूचना सं0–7110, दिनांक 05.09.2003 द्वारा आपका पदस्थापन सोनुवाँ प्रखण्ड में किया गया, तो ठीक इसके पाँच दिन बाद अर्थात दिनांक 10.09.2003 को सोनुवाँ प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण कर लिया। आपकी समस्याएँ स्वतः समाप्त हो गई। माताजी की बीमारी मात्र एक बहाना था। इस तरह आपने जानबूझ कर सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए पूर्व अधिसूचित स्थान में योगदान नहीं दिया, जिसके

लिए आप दोषी हैं। इससे सरकारी निर्देश का उल्लंघन, सेवा शर्तों के विरूद्ध आचरण एवं बी0पी0एल0 परिवारों के स्वरोजगार कल्याण को बाधा पहुँचा।

आरोप सं0–2– ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0–7110, दिनांक 05.09.2003 द्वारा आपका पदस्थापन सोनुवाँ प्रखण्ड में किया गया। आप दिनांक 10.09.2003 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुवाँ का प्रभार ग्रहण कार्यरत हो गये। इस प्रखण्ड में पदस्थापित होने के बाद भी आपकी पूर्व कार्यशैली बनी रही। कार्य पद्धति में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी पुरानी परम्परा को कायम रखते हुए आप प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहते थे। आप मुख्यालय से लगभग 25 कि0मी0 दूर अनुमंडल मुख्यालय, चक्रधरपुर के एक लॉज में रहते थे तथा विशेष/आकस्मिक परिस्थिति में कभी भी आपकी खोज होने पर मुख्यालय में नहीं पाये गये। आप शहरी जीवन के आदी थे। कार्य के प्रति आपकी रूचि नहीं रही। इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहा है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर ने दिनांक–04.12.2003 को इसे पुष्ट किया है। आपके मुख्यालय में नहीं रहने से प्रखण्ड के कर्मियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। यह विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं विकास कार्य पूर्णतः प्रभावित हुए।

आरोप सं0–3– गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले ग्रामीणों के कल्याणार्थ इंदिरा आवास के लाभुकों को भुगतान के निमित्त दिनांक–07.02.2004 को सोनवाँ प्रखण्ड मुख्यालय में कैम्प निर्धारित था। इसकी सूचना आपको पूर्व में दी गयी थी। इसके बावजूद आपक जानबूझ कर अवकाश में प्रस्थान कर गये एवं दिनांक–09.02.2004 को आप कार्य पर उपस्थित हुए। इसकी पुष्टि अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के पत्रांक–229/गो0, दिनांक–03.04.2004 से होती है। इस तरह आपके इंदिरा आवास कैम्प में अनुपस्थित रहने के कारण लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं हो पाया, जो आपके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। आप का यह आचरण बी0पी0एल0 परिवारों के प्रति पूर्णतः उदासीन है एवं विभागीय दायित्वों के प्रति नकारात्मक है। आपके पदस्थापन अवधि में इंदिरा आवास योजना की प्रगति निम्न कोटि की थी। स्वीकृत लक्ष्य (278) के विरूद्ध (174) एकरारनामा की स्थिति भी काफी दयनीय है तथा मात्र 9 योजना 533 के विरूद्ध पूर्ण है। यह उपलब्धि 1.6 % है।

आरोप सं0–4– लोकसभा चुनाव, 2004 से संबंधित फोटोग्राफी/इत्यिक के वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिला स्तर पर दिनांक 04.12.2003–05.12.2003 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की एक बैठक निर्धारित थी, इसकी सूचना दिये जाने के बावजूद

आप इस बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें। आप लोक सभा चुनाव, 2004 के दौरान कार्य स्थल पर न रहकर बीमारी का बहाना बनाकर दिनांक 31.03.2004 से लगातार जोंडिस बीमारी का बहाना बनाकर तीन माह तक अनुपस्थित रहें। जब लोक सभा का कार्य समाप्त हुआ, तो आपने उपायुक्त, प0 सिंहभूम के समक्ष दिनांक 29.06.2004 को एक आवेदन पत्र समर्पित किया कि अब आप पूर्णरूप से स्वस्थ्य हो चुके हैं। अतः अवकाश स्वीकृत किया जाय। जबकि अवकाश स्वीकृति की शक्ति अधोहस्ताक्षरी में नहीं है।

<u>आरोप सं0–5–</u> प्रखण्ड मुख्यालय में कार्यरत प्रखण्ड पर्यवेक्षकों को कार्यमुक्त कर स्वतः आप 16 पंचायतों के प्रभारी बने हुए थे। इसके पीछे आपका व्यक्तिगत लाभ छिपा हुआ था। आप अपने चहेते कर्मियों के माध्यम से योजना कार्य में दोहन का कार्य कर रहे थे। इससे भी जनमानस में काफी आक्रोश था। सोनुवाँ प्रखण्ड में कुछ ऐसे कनीय अभियंता हैं, जिन पर योजना कार्यों में गड़बड़ी के लिए प्राथमिकी दर्ज है। आप बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के इनसे कार्य लेते थे, जो आपके स्वेच्छारिता एवं व्यक्तिगत लाभ को दर्शाता है। इस बात की पुष्टि सहायक अभियंता, सोनुवाँ प्रखण्ड के पत्र, दिनांक 12.12.2003, जो उपायुक्त, प0 सिंहभूम को सम्बोधित है, से होती है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–7122, दिनांक 02.11.2007 द्वारा श्री गुप्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री गुप्ता के पत्र, दिनांक 14.12.2007 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

<u>आरोप सं0–1 पर स्पष्टीकरण–</u> विभागीय अधिसूचना सं0–7469, दिनांक 20.12.2002 द्वारा इनका स्थानांतरण मधुपुर प्रखण्ड से मनातु किया गया। मधुपुर प्रखण्ड का प्रभार दिनांक 24.12.2002 को सौंपने के पश्चात अपनी माता की अस्वस्थता के कारण ये मनातु प्रखण्ड में योगदान नहीं दे सकें। इस संबंध में अपने आवेदन पत्र, दिनांक 25.12.2002 द्वारा उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को अवगत कराते हुए दिनांक 25.10.2002 से दिनांक 31.03.2003 तक अवकाश हेतु अनुरोध किया गया। पुनः इनके आवेदन पत्र, दिनांक 01.04.2004 द्वारा उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को देकर माताजी की बीमारी के कारण अवकाश वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार विधिवत् सूचना देकर ही विकट परिस्थितियों के कारण ये अवकाश में रहे। राज्य सरकार के स्थानांतरण आदेश की अवहेलना की इनकी मंशा नहीं थी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0–7110, दिनांक 05.09.2003 द्वारा इनका पदस्थापन सोनुवाँ

प्रखण्ड में किया गया। यह आदेश सरकार द्वारा दिया गया, जिसमें इनकी कोई भूमिका नहीं थी। आदेश के आलोक में इन्होंने अधिसूचित पद पर योगदान दिया।

<u>आरोप सं0–2 पर स्पष्टीकरण–</u> विभागीय अधिसूचना के आलोक में दिनांक 10.09.2003 को इन्होंने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनुवाँ का पदभार ग्रहण किया। प्रखण्ड मुख्यालय स्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का सरकारी आवास मरम्मत की अवस्था में था। अधूरा मरम्मत कर कार्य स्थगित कर दिया गया था। मकान का छत एवं अन्य भाग तोड़ दिया गया था। इससे यह आवास रहने योग्य नहीं था। इस संबंध में अनेक बार उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया, परन्तु आगे कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। अतः अस्थायी तौर में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ही चंद दिनों तक मैं मुख्यालय से अलग रहा तथा वैकल्पिक व्यवस्था होते ही मैं मुख्यालय में अवासित हो गया। मैं सभी अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता था। अनुशासहीनता एवं कर्त्तव्य में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती थी।

<u>आरोप सं0–3 पर स्पष्टीकरण–</u> अतिआवश्यक परिवारिक कारणों से दिनांक 03.02.2004 से 07.02.2004 तक पाँच दिनों के अवकाश की आवश्यकता थी, जिसके लिए मैंने दिनांक 30.01.2004 को ही अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर को अवकाश हेतु एवं मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन दिया था। अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही मैं अवकाश पर गया। उस समय दिनांक 07.02.2004 को प्रखण्ड में आयोजित होने वाले इंदिरा आवास कैम्प की कोई सूचना नहीं थी। दिनांक 07.02.2004 तक स्वीकृत अवकाश का उपभोग कर मैं दिनांक 08.02.2004 को अपने कार्य पर उपस्थित हो गया था। मैं लगातार अपने कर्त्तव्यों का पालन करता रहा हूँ तथा इंदिरा आवास एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य विकास योजनाओं में सतत् रूप से भुगतान की प्रक्रिया चलती रही है। अतः एक दिन भुगतान करने हेतु जानबूझ कर अवकाश पर प्रस्थान करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक 30.01.2004 को ही अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर अवकाश आवेदन प्रेषित किया गया था। उस समय मेरे अवकाश अस्वीकृत नहीं किया गया। बाद में उनके पत्रांक–229/गो0, दिनांक 03.04.2004 द्वारा सुनियोजित ढंग से यह आरोप मुझपर मढ़ा गया प्रतीत होता है। जहाँ तक योजनाओं में प्रगति का संबंध है, इस संबंध में कहना है कि इनके द्वारा कुल 524 योजनाओं में तेजी लाकर कार्य कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 01.03.2004 तक इन योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन

भेजा गया। कार्य में प्रगति के कारण ही प्रतिवेदित अवधि में मो0 45,11,500/– रूपये का व्यय संभव हो सका।

<u>आरोप सं0–4 पर स्पष्टीकरण–</u> लोक सभा चुनाव, 2004 से संबंधित फोटोग्राफी इत्यादि कार्यों को इनके द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इन कार्यों का स्वयं पर्यवेक्षण किया गया एवं लोक सभा निर्वाचन से संबंधित वांछित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराया गया। निर्वाचन से संबंधित बैठकों में इनके द्वारा निश्चित रूप से भाग लिया गया। उच्चाधिकारियों के किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की गई। जहाँ तक दिनांक 04.12.2003–05.12.2003 की बैठक में भाग नहीं लिये जाने का प्रश्न है, तो इसकी आधिकारिक सूचना ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण इस प्रकार की स्थिति हो सकती है परन्तु इसे जानबूझकर उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने की मंशा जाहिर नहीं होती है। लोक सभा चुनाव के दौरान बीमारी का बहाना बनाकर अवकाश में चले जाने संबंधी आरोप असत्य है। सोनुवाँ प्रखण्ड में पदस्थापन के दौरान मार्च के महीने में ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इन्हें जोंडिस एडवांस स्टेज में हो गया था, जिसकी पुष्टि प्रखण्ड के चिकित्सक प्रमाण पत्र से की जा सकती है परन्तु वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण ये अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद कार्यहित एवं राज्यहित में कर्त्तव्य में बने रहे। जब इनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई और ये मरनासन्न स्थिति में पहुँच गये, तो दिनांक 31.03.2004 को वित्तीय वर्ष के सभी दायित्वों का निष्पादन कर दिनांक 01.04.2004 से 08.04.2004 तक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने के आवेदन के साथ उपायुक्त के निदेशानुसार अपर उपायुक्त, चाईबासा की अनुमति से प्रस्थान किये।

<u>आरोप सं0–5 पर स्पष्टीकरण–</u> जब ये सोनुवाँ प्रखण्ड में पदस्थापित थे, तो प्रखण्ड में केवल दो पर्यवेक्षक पदस्थापित थे– एक महिला प्रसार पदाधिकारी एवं एक कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक। महिला प्रसार पदाधिकारी द्वारा विकास योजनाओं का न तो निरीक्षण किया जाता था और न समुचित संचालन, जिससे विकास कार्यों की प्रगति असंतोषजनक थी। उनके द्वारा बार–बार बताया जाता था कि स्वर्णजंयती स्वरोजगार योजना के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण एवं महिला होने के कारण वे क्षेत्र भ्रमण करने में असमर्थ हैं। सांख्यिकी पर्यवेक्षक द्वारा भी निर्वाचन संबंधी कार्य का बहाना कर योजनाओं का समुचित निरीक्षण नहीं किया जाता था। सभी बैठकों में योजनाओं की धीमी प्रगति के लिए इन्हें जिम्मेवार ठहराया जाता था, जबकि वहाँ पर्यवेक्षकों के पदस्थापन हेतु समय–समय पर उच्चाधिकारी को सूचित किया जाता रहा, परन्तु किसी भी अन्य पर्यवेक्षक का पदस्थापन

नहीं किया गया। जहाँ तक 16 पंचायतों के प्रभारी का प्रश्न है, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी विकास योजनाओं के लिए पूरे प्रखण्ड के प्रभार में रहते हैं। इसके पीछे विकास कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन, कार्यहित एवं जनहित की मंशा ही है। जहाँ तक कनीय अभियंता से कार्य कराने का प्रश्न है, सोनुवाँ प्रखण्ड में तत्कालीन केवल एक ही कनीय अभियंता पदस्थापित थे, जबकि सोनुवाँ प्रखण्ड एक दुर्गम पहाड़ियों एवं जंगलों के बीच अवस्थित प्रखण्ड है, जहाँ एक कनीय अभियंता से योजनाओं का पर्यवेक्षण संभव नहीं था। कनीय अभियंता के पदस्थापन के लिए उच्चाधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बावजूद इनका पदस्थापन नहीं किया गया। साथ ही, पदस्थापित कनीय अभियंता पर योजना कार्यों में गड़बड़ी हेतु प्राथमिकी दर्ज रहने के कारण उन्हें विकास कार्यों में नहीं लगाने का कोई भी आदेश उच्चाधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया था।

श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–772, दिनांक 11.02.2008 द्वारा उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–575 (B)/स्था0, दिनांक 10.09.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् तथ्य दिये गये हैं :–

<u>आरोप सं0–1 पर मंतव्य–</u> श्री गुप्ता ने इस आरोप के संबंध में उन तथ्यों एवं परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिसके चलते पूर्व पदस्थापन स्थान मधुपुर प्रखण्ड का प्रभार दिनांक 24.12.2002 को सौंपने के पश्चात मनातु प्रखण्ड में योगदान नहीं दे सके। वे अपने माता की बीमारी के कारण अवकाश में थे। इस संबंध में भेजे गये आवेदनों की छायाप्रति भी स्पष्टीकरण के साथ संलग्न की गई है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

<u>आरोप सं0–2 पर मंतव्य–</u> इस आरोप के संबंध में श्री गुप्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

<u>आरोप सं0–3 पर मंतव्य–</u> इस आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ दिनांक 03.02.2004 से दिनांक 07.02.2004 तक के आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र, जो उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर को समर्पित किया था, की छायाप्रति संलग्न की गई है। इससे विदित होता है कि ये जानबूझकर अवकाश पर नहीं गये थे। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

<u>आरोप सं0–4 पर मंतव्य</u>– इस आरोप के संबंध में श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संलग्न चिकित्सा पुर्जा आदि के विवेचन से स्पष्ट होता है कि ये बीमार थे और चिकित्सा हेतु अवकाश में प्रस्थान किये थे। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

<u>आरोप सं0–5 पर मंतव्य</u>– इस आरोप के संबंध में जो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, उसके साथ कोई तथ्यात्मक विवरणी नहीं दिया गया है। अपितु प्रखण्ड में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण अपेक्षित पग्रति नहीं होने का उल्लेख किया गया है। अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के मंतव्य से सहमत होते हुए आरोप सं0–2 एवं 5– प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहने तथा योजना के कार्यों में ढिलाई बरतने को प्रमाणित पाया गया।

समीक्षोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री गुप्ता के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(iv) के तहत् **असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

1009 28.11.16

(दिलीप तिर्की)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 / आरोप–1–459 / 2014 का०–................ / राँची, दिनांक 28 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रधान सचिव कोषांग / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा / उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा / उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4 / प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) / श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.16

सरकार के उप सचिव।